P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* (Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचार निवारण की व्यवस्था : एक अध्ययन

अंजना खेर
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान,
लोकप्रशासन एवं मानवाधिकार अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन, म.प्र., भारत

सारांश

भारतीय प्रशासन भ्रष्टाचार के शिकंजे में इस कदर फँस गया है कि एक–दूसरे को अलग करने की समस्त कोशिशें बेकार जाने लगी है। सम्पूर्ण प्रशासकीय यंत्र विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं और कठिनाईयों के बीच खड़ा दिखाई देता है। प्रजातंत्र को प्रशासकीय अधिकारियों से भी भय है और राजनैतिक नेताओं से भी। यदि भारतीय प्रजातंत्र का हम सिंहावलोकन करे तब हमें यह अनुभव होता है कि इस पूरे देश को भ्रष्टाचार ने बुरी तरह से जकड़ लिया है। भ्रष्टाचार भारतीय प्रशासन का पर्याय बन गया है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये अनेक उपाय समय–समय पर किये जाते रहे है।

मुख्य शब्द : भ्रष्टाचार, प्रशासन, आंदोलन ।

प्रस्तावना

आधुनिक युग में जहां मानव प्रगतिशील पथ पर अग्रसर है वहीं दूसरी ओर वह कई कठिनाईयों से ग्रसित भी है। मानव की आवश्यकताएं अधिक है और उसके पास उनको पूर्ण करने के लिए साधन कम एवं सीमित है। अतः मानव अपनी आवश्यकतओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे अनैतिक एवं गलत तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए विवश हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति चेतन रूप में उन नियमों का उल्लंघन करता है जो राज्य के उत्थान एवं कल्याण के लिए बनाए जाते हैं।

भ्रष्टाचार को हम व्यक्ति का वह कार्य मान सकते हैं जो दूसरों के हितों की उपेक्षा करते हुए केवल अपने व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा जिसमें दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचता है या पहुंचने की संभावना रहती है।

शोध पत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति का अध्ययन करना। भारत में भ्रष्टाचार के कारण, निवारण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।

साहित्यावलोकन

संसदीय लोकतंत्र और भ्रष्टाचार, हेमलता वर्मा, 2001, इस शोध पत्र में संसदीय लोकतंत्र और भ्रष्टाचार का अध्ययन किया गया है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् संसदीय प्रजातंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारत विकास करते हुए न सिर्फ आत्मनिर्भर बन पाया बल्कि आज विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। जिस तेजी से यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ है, उससे भी कही ज्यादा तेजी से शासन एवं प्रशासन में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार भी बढ़ा है जो हमारी पूरी व्यवस्था को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चट कर रही है। जिसके कारण से भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है।

भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के विविध आयाम, विनी शर्मा, 2012, इस शोध पत्र में भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के विविध आयामों का अध्ययन किया गया है। आज सम्पूर्ण भारतीय समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है और सम्पूर्ण जनता इससे परेशान है ? भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप हो सकते है। यह आवश्यक नही कि भ्रष्टाचार धन के ही रूप में हो। भ्रष्टाचार के कारण भी भारत में प्रमुख आर्थिक घोटाले हुए – बोफोर्स, यूरिया, चारा, शेयर बाजार, सत्यम, स्टाम्प पेपर, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2जी स्पेक्ट्रम, अनाज घोटाला आदि।

भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, अशोक शर्मा, 2009, इस शोध पत्र में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों का अध्ययन किया गया है। इस शासन व्यवस्था के अन्तर्गत जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भ्रष्टाचार, आरक्षण की राजनीति इत्यादि से उत्पन्न अनेकों समस्याओं ने राष्ट्रीय एकता के

मार्ग में बाधा उत्पन्न कर भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चुनौतियों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखे तो यहाँ लोकतंत्र को सफलतापूर्वक काम करने के लिये एक बुनियादी वातावरण की आवश्यकता है और इस वातावरण के निर्माण में प्रत्येक नागरिक एवं सरकार का सहयोग आवश्यक है।

भ्रष्टाचार की नई संस्कृति, सुशील कुमार सिंह, 2009, इस अध्ययन में लेखक ने भ्रष्टाचार की नई संस्कृति के बारे में चर्चा की, चारों ओर फैले भ्रष्टाचार ने आम आदमी की यह दशा कर दी है। स्थिति भयानक है, लोग मानते है कि कुछ सौ रूपये देकर झंझट खत्म हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है ? जिनके पास पैसे है वे खुशी, खुशी देने को तैयार है। सचमुच ईमानदारी अपनी खो चुकी है तथा भ्रष्टाचार पनपता ही जा रहा है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस शोधपत्र में तथ्यों का संकलन पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं शासकीय अभिलेखों से प्राप्त किया गया है।

भ्रष्टाचार से तात्पर्य

भ्रष्टाचार का शब्दार्थ है "भ्रष्ट" अथवा "बिगड़ा" हुआ "आचरण"। लोक प्रशासन में इसका अभिप्राय ऐसे आचरण से है जिसकी आशा लोक सेवकों से नहीं की जाती है। लोक सेवकों से सदैव यही उपेक्षा की जाती है कि उनका आचरण शुद्ध, पवित्र, सब प्रकार की कलंक–कालिमा से मुक्त होगा। वे सत्यनिष्ठ तथा ईमानदार होते और अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी सच्चाई और निष्ठा से करेंगे। इस प्रकार के शुद्ध आचरण के विपरीत, जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की बेईमानी, गबन, घूसखोरी, रिश्वत, अनुचित एवं अवैध रीति से पैसा लेना तथा अपनी सरकारी स्थिति और प्रभाव का स्वार्थ सिद्धि के लिए दुरूपयोग करना ही "भ्रष्टाचार" है।

विभिन्न विद्वानों ने भ्रष्टाचार की परिभाषा विभिन्न प्रकार से व्यक्त की है–

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अंग्रेजी में भ्रष्टाचार के लिए प्रचलित शब्द "करप्शन" का मूल अर्थ "शुद्ध आचरण में कमी" या इसका खंडित होना है।[1]

यह कम उपसर्ग के साथ टूटने का अर्थ देने वाली लैटिन की "रम्पर" नामक धातु से मिलकर बनता है, जिसका मूल अर्थ "आचरण में त्रुटि या कदाचरण" है। "इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका" ने भ्रष्ट आचरण के अर्थ को चुनाव पद्धति के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए उसमें रिश्वत को शामिल किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार का अर्थ निम्नांकित रूप से प्रकट किया है–

"इन्क्लूडस ब्रीबरी बट हेस रिफरेन्स टू दि इलेक्ओरल सिस्टम।"[2]

भ्रष्टाचार की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 में इस प्रकार की गई है–

"जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से अधिक कोई घूस लेता है या स्वीकार करता हे अथवा लेने के लिए तैयार हो जाता है या लेने का प्रयत्न करता है या किसी कार्य को करने के लिए उपहारस्वरूप या अपने शासकीय कार्य को करने में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या उपेक्षा या किसी व्यक्ति की कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास, केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार या संसद या विधानमण्डल या किसी लोक सेवक के सन्दर्भ में करता हे तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास का दण्ड या अर्थदण्ड या दोनों दिए जा सकेंगे।"[3]

भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के रूप

भारत में भ्रष्टाचार के दायरों की खोज अत्यन्त जटिल है, जैसा कि संथानम समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि–

"भारतीय प्रशासन में कितने व्यक्ति भ्रष्ट हैं इसका औसत अनुमान लगाना कठिन कार्य है। अथवा इस बात का अनुमान लगाना कि कितने प्रतिशन धन अवैध तरीकों से पुरस्कार के रूप में संचित किया जाता है अत्यन्त जटिल कार्य है। सांख्यिकी इस रोग के चलन तथा विस्तार की हदों का पता लगाने में मदद कर सकती है, किन्तु हमें सिर्फ सांख्यिकी संकेतों को पर्याप्त मानकर भ्रष्टाचार के विस्तार का अंदाज नहीं लगा लेना चाहिए। भ्रष्टाचार की शिकायतों में वृद्धि इस क्षेत्र में अनुसंधान अभियोजनों में वृद्धि, विभागीय कानूनी जांच करना तथा आरोपियों को उचित दण्ड देना आदि कार्यों में सांख्यिकी से सहयोग प्राप्त होता है जिससे हम इस व्याधि के विरूद्ध अधिक केन्द्रित युद्ध लड़ सकते हैं।"[4]

इस सामाजिक बुराई के सम्बन्ध में शासकीय सांख्यिकी आंकड़े इसके विस्तार को कम आंकते है। ऐसे कई आरोपी हैं जिसके बारे में सरकार को जानकारी भी नहीं होती। कभी–कभी ऐसा भी होता है, और अधिकारी तो सरकार की छोटी–मोटी गड़बड़ियों को ही आगे करते हैं, बड़े भ्रष्टाचार के प्रकरण मौकों पर आसानी से दबा दिए जाते हैं।[5]

इसके अलावा भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप हैं, यह आवश्यक नहीं है कि भ्रष्टाचार का रूप आर्थिक ही हो या किसी मंत्री या उच्च अधिकारी के व्यक्तित्व संबंध में हो।

आचार्य कौटिल्य ने "अर्थशास्त्र" के द्वितीय अधिकरण के आठवें अध्याय में राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऐसे चालीस (40) प्रकार के भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है, जिससे वे राजकीय धन का अपहरण करते हैं। जैसे– कर आदि वसूल करने में रिश्वत लेना, राज्य का धन पाकर भी उसे पाने से इन्कार करना, बिना धन दिए कर समाप्त करना, सजा से धन वसून करके भी राजकीय खजाने में जमा न करना, थोड़े मूल्य की वस्तु का अधिक कर वसूल करना, नाप–तौल के पात्र में गड़बड़ी करना आदि। केन्द्रीय निरीक्षण आयोग ने भ्रष्टाचार के 27 प्रकारों का उल्लेख किया है। राजनीतिक भ्रष्टाचार दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में राजनीतिक भ्रष्टाचार में इतनी अधिक वृद्धि हो चुकी है कि उसके दुष्परिणामों से भारतीय लोकतंत्र के संविधान की आत्मा कांप उठी है। हमारा राजनीतिक नेतृत्व ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री है।[6]

राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में यह करना अत्यन्त जटिल है कि इसके लिए सर्वाधिक दोषी कौन है, हमारा राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक व्यवस्था,

चुनाव प्रणाली, दलीय व्यवस्था, दल–बदल की राजनीति, राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक फेरबदल या सभी बातों का राजनीतीकरण किया जाना।[7]

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही मंत्री स्तर पर भ्रष्टाचार फलता फूलता रहा है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के विषय में उल्लेखनीय है कि मंत्रियों द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। मंत्री स्तर पर पाये जाने वाले भ्रष्टाचार को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करता रहा।[8]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन की व्यवस्था के लिए स्वतन्त्र चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। परन्तु भारतीय चुनाव आयोग पर समय–समय पर पक्षपात के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं। निर्वाचन में व्याप्त भ्रष्टाचार हमारी ज्वलंत समस्या है।[9]

श्री हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि–

यदि निर्वाचन तन्त्र दोषपूर्ण है अथ्वा अकुशल या गैर उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा संचालित हो तो प्रजातन्त्र उत्पत्ति के समय ही विषमय हो जाएगा।[10]

भारतीय प्रशासन की वर्तमान स्थिति तो यह है कि जिस प्रकार शासकीय कार्यों के सिलसिले में नियम बनए जाते हैं उसी प्रकार भ्रष्टाचार अपनाने तथा रिश्वतखोरों के भी आन्तरिक नियम बना लिए गये हैं। और चपरासी से लेकर उच्चाधिकारी भी इन नियमों का बड़ी सर्तकता से पालन करते हैं।[11]

ऐसे व्यक्ति जो कानूनी दृष्टि से अपराध करते हैं, किन्तु फिर भी वे बेदाग रहते हैं। अभिजात्य वर्ग के श्वेत वस्त्रधारी अपराधी कहलाते है। यह निर्विवाद रूपेण सत्य है कि केवल शासकीय पदाधिकारीगण ही भ्रष्टाचारी नहीं होते। प्रमुख व्यवसायी एवं उद्योगपति भी इस श्रेणी में आते हैं। इसमें वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक, प्रतिष्ठित उद्योगपति, विभिन्न व्यवसाय करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। उद्योगपति एवं व्यवसायी मुख्य रूप से शासकीय पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार अपनाने और उसका विस्तार करने में सहयोग प्रदान करते हैं।[12]

भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों में एक काले धन की समस्या है। कालाधन वास्तव में बिना वैधानिक हिसाब का धन होता है। राष्ट्र के नैतिक चरित्र का विकास करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र में अच्छे नागरिकों का निर्माण और राष्ट्र में वर्णधारों की उत्पत्ति में भी शिक्षा की अहम भूमिका विद्यमान है, किन्तु सखेद कहना पड़ता है कि शिक्षा का क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है।[13]

भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण

वर्तमान समय में अनेकानेक कारण माने जाते हैं। भ्रष्टाचार में वृद्धि का कारण पहले यह माना जाता था कि प्रायः गरीबी के कारण त्रस्त लघु कर्मचारी रिश्वत लेते हैं। इसी से भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। क्योंकि गरीबी के कारण आर्थिक विषमता होती थी जिसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति अनैतिक तरीकों जैसे रिश्वत, गबन आदि का सहारा लेना पड़ता था। किन्तु आज अत्यधिक विकसित एवं विकासशील देश भी इस भ्रष्टाचार की चपेट में है। वहां गरीबी न होते हुए भी भ्रष्ट आचरणों का सहारा लिया जाता है, इसके भी अनेक कारण माने जाते हैं। बड़े–बड़े विकासशील देश जैसे अमेरिका रूस आदि के बड़े–बड़े उच्च अधिकारी तक को इस प्रकार के दूषित कार्य करते हुए पाया गया है। इस संबंध में अमेरीकी विमान निर्माता, लाकहीड जैसी कम्पनियों द्वारा विभिन्न देशों के कर्मचारियों को लाखों डॉलरों की रिश्वत देने के मामले प्रकाश में आए हैं। इस आधार से यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार विश्व के सभी देशों में है। जिनके फैलने के अनेक कारण है, केवल गरीबी ही मुख्य कारण नहीं है। विभिन्न देशों में इसके अलग–अलग कारण हैं। वर्तमान भारतीय पृष्ठभूमि में "संथानम समिति" की रिपोर्ट के आधार पर इनके प्रमुख कारणों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है–

ऐतिहासिक कारण, प्रशासन का विस्तार, आर्थिक कारण, नैतिक मूल्यों का ह्रास, प्रक्रियात्मक जटिलता और लाल फीताशाही के कारण परेशानी।[14]

युद्धकालीन अभाव तथा नियंत्रण, वेतनों में विषमता,[15] दुर्बल नियंत्रण प्रणाली, पुलिस की निष्क्रियता, नौकरशाहों का विलासी जीवन।[16]

भ्रष्टाचार निवारण हेतु सुझाव एवं संस्तुतियां

भ्रष्टाचार की व्यापकता को देखते हुए विचारकों का तो यह मत है कि यह बुराई समाज का एक अनिवार्य अंग बन गई है। इसका समून्मोलन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता, किन्तु दूसरी ओर कुछ विचारकों का विचार है कि हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे है, जहां से लौटा न जा सके। भ्रष्टाचार को एक हद तक कम करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके निराकरण हेतु उपर्युक्त सुझाव अग्रांकित है। आवश्यकता इस बात की है कि इस रोग के निवारण हेतु चारों ओर आक्रमण होना चाहिए, क्योंकि किसी एक उपाय से इसकी विशालता में कमी ला पाना असम्भव है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों तथा व्यापारियों में ईमानदारी जाग्रत की जाए। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन किया जाए। सामान्य जनता को जन कल्याण के प्रति जाग्रत करना होगा। उच्च अधिकारी तथा निम्न अधिकारियों मे नैतिकता का समान स्तर होना चाहिए। प्रचार–प्रसार तथा प्रेस की भूमिका का विकास किया जाए।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी निर्णयों को शीघ्र लिया जाना चाहिए तथा उचित एवं कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाए। सरकारी कर्मचारियों का वेतन इतना अवश्य होना चाहिए जिसके मिलने के पश्चात् पदाधिकारी को अनाधिकृत रूप से धन कमाने की भी आवश्यकता ही न रहे। असैनिक सेवकों के लिए कठोर आचार संहिता निर्धारित की जानी चाहिए। ठेके तथा लायसेन्स आदि देने में सावधानी बरतनी चाहिए। राजनैतिक दल व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के कार्यों की जांच की जानी चाहिए। विशेषाधिकारों की प्रथा को समाप्त किया जाए। तत्कालिक तथा पक्षपात रहित जांच की आवश्यकता है।[17]

जनता में साक्षरता तथा राजनैतिक शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। विधियों नियमों और प्रशासनिक कार्य प्रणालियों की समीक्षा की जानी चाहिए।[18]

भारत में जनता की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था

सरकार के कार्यपालिका संगठनों के प्रति जनता की शिकायतें हमेशा रही है, जो समय–समय पर अनेक रूपों में व्यक्त होती रही है, यद्यपि सरकार के कार्यपालिका अंग के विरूद्ध जन शिकायत का मुख्य कारण भ्रष्टाचार रहा है, फिर भी भ्रष्टाचार इस असन्तोष का अंश मात्र ही है।

भ्रष्टाचार निवारण समिति के प्रतिवेदन (1962) के अनुसार–

"व्यापक अर्थ में शासकीय पद अथवा सार्वजनिक जीवन की किसी विशिष्ट स्थिति में निहित शक्ति एवं प्रभाव का अनुचित और स्वार्थी उपयोग ही भ्रष्टाचार है।"[19]

किन्तु भ्रष्टाचार के अतिरिक्त शासकीय कर्मचारियों की उदासीनता, अक्षमता एवं असंवेदनशील नागरिकों की हानि ही नहीं करते हैं बल्कि उन्हें कठिनाई पहुंचाते है। जन शिकायतें दो प्रकार की होती हैं– सामान्य तथा व्यक्तिगत।

सामान्य जन शिकायतें सरकार की नीतियों और कार्यों के विरूद्ध होती है। वे समाज के सभी वर्गों पर एक समान लागू होती है। इसके उदाहरण है खाद्यान्नों की कमी, मूल्यों में वृद्धि, यातायात के साधनों में अव्यवस्था, ट्रेनों के आने–जाने में विलम्ब आदि। ऐसी शिकायतें अधिक मात्रा में पाई जाती है और समय–समय पर रूप भी धारण कर लेती है, जिससे बड़े पैमाने में उपद्रव फैल जाते हैं। इसके विपरीत, व्यक्तिगत शिकायतें वे हैं जो व्यक्ति विशेष तक सीमित रहती है। वे शिकायतें सरकार के कार्यपालिका अंग के विरूद्ध होती है, जिसमें राजनीतिज्ञ वर्ग के लोग तथा लोक कर्मचारी दोनों सम्मिलित होते है। सरकार द्वारा उठाए गए कतिपय कदम शासन की अकर्मण्यता, जिसका प्रभाव व्यक्तिगत रूप से नागरिकों पर पड़ता है, ऐसी शिकायतों के आधार होते है। विधि के शासन तथा व्यावसायिक सेवा के विकास के फलस्वरूप लोक सेवाओं की सत्यनिष्ठा के विषय में जनता की सोच में एक परिवर्तन आया है। परिवर्तन यह आया है कि लोक कर्मचारियों को अपने पद का उपयेग अपने स्वयं तथा अपने इष्टमित्रों के आर्थिक एवं अन्य प्रकार के लाभों के लिए नहीं करना चाहिए। आज का नागरिक शासकीय कर्मचारियों से यह अपेक्षा रख्ता है कि वे ईमानदार, परिश्रमी, सक्षम, सहानुभूतिपूर्ण, शिष्ट तथा उचित बर्ताव करने वाले हों।[20]

मध्यप्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन सब गुणों को "प्रशासन में सत्यनिष्ठा तथा सामर्थ की संज्ञा दी है।"

स्वाधीन भारत की सरकार इस विषय में पीछे नहीं रही और इस दिशा में उसके अनेक प्रशंसनीय कदम उठाये है। 1947 में ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनया गया। साथ ही भ्रष्टाचार रूपी व्यापक बीमारी की जांच करने और उसको दूर करने के उपायों को सुधारने के लिए अनेक समितियों अथवा आयोगों की स्थापना की गई, जैसे– टेकचन्द समिति (1949), रेल्वे भ्रष्टाचार जांच (कृपलानी), समिति (1953) तथा बोस आयोग (1956)। 1955 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। इसी वर्ष केन्द्रीय सरकार में प्रशासनिक सतर्कता डिविजन तथा मंत्रालयों/विभागों में सतर्कता इकाइयों की स्थापना हुई। 1954 में ओ एण्ड एम डिवीजन की भी स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य प्रशासन में सुधार लाना तथा प्रशासन के विरूद्ध शिकायतों को कम करना था। इसी बीच केन्द्र में शिकायत आयुक्त की नियुक्ति की गई जिसका कार्य नागरिकों की शिकायतों पर विचार करना। 1962 में भारत सरकार ने श्री सन्थानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन किया जिसमें छः संसद सदस्य और दो वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित थे। इस समिति की सिफारिश के अनुसार 1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। अनेक राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में पहल की। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विभिन्न इकाइयों का गठन किया गया, जैसे– भ्रष्टाचार विरोध विभाग, मण्डलीय शिकायत बोर्ड, जिला शिकायत समितियों, जांच आयुक्त तथा सचिवालय एवं अन्य संगठनों में ओ एण्ड एम इकइयां आदि। 1964 में सतर्कता आयुक्त महत्वपूर्ण पद की स्थापना हुई। प्रत्येक राजस्व आयुक्त, उप महानिरीक्षक (पुलिस) तथा सतर्कता अधिकारी, जो बोर्ड का संयोजक होता था। यह अधिकारी अशासकीय व्यक्तियों में से चुना जाता था। जिला स्तर पर भी जिला सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई। दुर्भाग्यवश समस्या को हल करने में उपर्युक्त प्रयास सफल नहीं हुए है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार उपर्युक्त उपकरणों के प्रभावहीन हो जाने के कारण है, जैसे पुलिस के संगठन का अंग होने के कारण भ्रष्टाचार विरोधी विभाग जनता का विश्वास न प्राप्त कर सका और न समानतापूर्ण उचित आचरण की ख्याति ही उसे मिल सकी। इसी प्रकार, अपने संगठन के स्वरूप के कारण मण्डलीय शिकायत बोर्ड एवं जिला शिकायत समितियां सामूहिक रूप से कार्य नहीं कर सकी। उनके पास जांच–पड़ताल करने के लिए कोई स्वयं का संगठन न था। अतः उनकी भूमिका विभागीय अधिकारियों के पास शिकायतें भेजने का साधन मात्र रह गयी। सतर्कता आयोग भी वैधानिक आधार तथा स्वयं गवाही एकत्र करने की कानूनी शक्ति के अभाव में एक सलाहकार निकाय की ही भूमिका निभा सका। कुछ लोगों के मतानुसार सतर्कता आयोग छोटे–छोटे मामलों में उलझ गया। अन्य मतों के अनुसार इस आयोग को शासकीय सहयोग की बजाय उदासीनता एवं अरूचि का ही बर्ताव मिला तथा आयोग को कार्य करने का उचित अवसर नहीं मिला। अतएव इस समस्या के निराकरण के लिए एक नवीन एवं प्रभावकारी उपकरण की खोज प्रारम्भ हुई। 1963 से लगातार संसद सदस्यों, समाचार–पत्रों, विधिवेत्ताओं तथा प्रसिद्ध लोकनायकों द्वारा लोकपाल सदृश संस्था की स्थापना की मांगी की जाती रही है। संस्थानम समिति ने न्यूजीलैण्ड के संसदीय आयुक्त के समान पद की अनुशंसा की थी। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी 1963 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में राज्य के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश की थी। 1966 में गठित केन्द्रीय प्रशासकीय सुधार आयोग ने विस्तृत एवं गम्भीर रूप से विचार करके नागरिकों की शिकायतों के निवारणार्थ दो विशिष्ट पदों के सृजन की सिफारिश की। केन्द्र तथा

राज्यों में मंत्रियों एवं सरकार के सचिवों के प्रशासनिक क्रियाकलापों के विरूद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए लोकपाल और केन्द्र तथा राज्यों के अन्य अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यों के विरूद्ध शिकायतों पर विचार करने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सिफारिश की।[20]

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन

भारत में समय–समय पर भ्रष्टाचार के विरोध में आन्दोलन होते रहे हैं। वर्तमान में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक व्यापक आन्दोलन चलाया जा रहा है। सम्पूर्ण भारत में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दिल्ली के जन्तर–मन्तर पर 5 अप्रैल 2011 से अन्ना हजारे ने सत्याग्रह के साथ आमरण अनशन की घोषणा की जिसमें एक दिन के लिए बाबा रामदेव भी शामिल हुए। उसके पश्चात् अप्रत्याशित भीड़ को देखकर सरकार चिंतित हुई और लोकपाल बिल लाने का आश्वासन देकर अन्ना का अनशन तुड़वा दिया। जैसे ही अन्ना ने दिल्ली से प्रस्थान किया सरकार द्वारा लोकपाल कमेटी में शामिल लोगों के प्रति जनता में अविश्वास फैलाने का कुचक्र रचा जाने लगा और भ्रष्टाचार रूपी सर्वाजनिक मुद्दों के सांप को लोकपाल के बिल में घुसा दिया।

4 जून 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे की तर्ज पर आमरण अनशन के साथ सत्याग्रह की घोषणा कर दी। आजादी के बाद जेपी आन्दोलन को छोड़कर 2011 तक ऐसा कोई मौका नहीं आया जब सरकार के खिलाफ देश भर की जनता एकजुट हुई हो, लेकिन भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने इस वर्ष 16 अगस्त 2011 में ऐसा अभूतपूर्व आन्दोलन किया जिसने राजनेताओं को हिला कर रख दिया। आन्दोलन यह सीख भी दे गया कि सरकार झुकती तो है, झुकाने वाला चाहिए।

गांधीवादी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 16 अगस्त से अनशन शुरू किया।

मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर
लोग मिलते गए और कारवां बनता गया।

कुछ इसी अंदाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की जनता अन्ना के आन्दोलन में जुटती रही। सैकड़ों की संख्या में शुरू हुआ समर्थकों का यह आंकड़ा लाखों में पहुंच गया। 13 दिन चले अन्ना हजारे के अनशन के आगे सरकार को घुटने टेकने ही पड़े।

इस जन आन्दोलन में आम लोगों की भागीदारी का सबसे प्रमुख कारण था अन्ना हजारे की साफ–सुथरी छवि। समाज के हर तबके को अन्ना में वह छवि दिखाई दी जो उसे कभी अपने राजनेताओं में नहीं दिखी। इसलिए लोगों ने अन्ना पर अटूट विश्वास जताया और उनके इस जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

आखिरकार सरकार को जनसंसद के आन्दोलन के आगे झुकना ही पड़ा और उसने आश्वासन दिया कि वह लोकसभा के इसी शीतकालीन सत्र में जनलोकपाल बिल लाएगी। सरकार ने लोकपाल बिल का मसौदा बनाने के लिए संसद की स्थाई समिति बनाई जिसे तीन माह में पेश करना था। इसके बाद 13 दिन चला यह देशव्यापी आन्दोलन समाप्त हो गया।

नौ दिसम्बर को संसद की स्थाई समिति ने लोकपाल बिल का मसौदा पेश किया। लेकिन विधेयक के मसौदे को कमजोर बताते हुए अन्ना ने कहा कि स्थाई समिति ने हमारे 34 में से इक्का दुक्का सुझावों पर ही विचार किया। वहीं लोकपाल बिल के ड्राफ्ट को 20 दिसम्बर को केबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। इसके विरोध में अन्ना हजारे ने 27 दिसम्बर से तीन दिन के अनशन का ऐलान किया।

देश में अपने आप में हुआ यह जन आन्दोलन अनोखा था। जनता ने सरकार को झुकाने का सूत्र खोज लिया। इस आन्दोलन ने हमारे राजनेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि अब जागने का समय आ गया और केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा। अगर फिर ऐसे आन्दोलन की आवश्यकता महसूस हुई तो जनता सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी। सही मायनों में कहें तो इस आन्दोलन में जनता की आवाज को सर्वपरि साबित किया।[22]

लगभग आधी सदी के इंतजार के बाद आखिरकार देश को लोकपाल बिल मिल गया है। लोकपाल बिल का अब तक का सफरनामा बड़ा रोमांचक रहा है। 46 सालों के इंतजार के बाद अब हम लोकपाल बिल को पास होता देख रहे हैं। आठ बार हम नाकाम रहे, लेकिन नौवीं बार नही। मूल लोपाल बिल अगस्त 2011 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। 22 दिसम्बर 2011 को लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल 2011 के नाम से एक नया बिल लोकसभा में रखा गया जो 27 दिसम्बर को इसे राज्यसभा में रखा गया। एक मैराथन बहस के बावजूद बिल पर राज्यसभा में वोटिंग नहीं हो सकी। 21 मई 2012 को यह बिल राज्यसभा की प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। फिलहाल जिस लोकपाल बिल पर विचार किया जा रहा है उसमें प्रवर समिति द्वारा अनेक बदलाव करते हुए उसे सभी राजनीतिक दलों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाया गया है। प्रवर समिति द्वारा बिल में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए है और कुछ संशोधन करते हुए राज्यसभा ने इसे पास कर दिया।

लोकपाल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली मशीनरी का राष्ट्रीय प्रमुख होगा। अन्ना हजारे ने इस बिल पर अपनी रजामंदी दे दी है।[23]

लोकसभा ने इसे पुनः संशोधन के साथ पास कर दिया। इस बिल पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए और यह बिल 16 जनवरी 2014 से लागू हो गया।[24]

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए है। इसके लिए प्रत्येक राज्य और जिला स्तर पर भ्रष्टाचार निरोध विभाग की व्यवस्था की गई है। विशेष समय–समय पर समितियों और आयोगों का भी निर्माण किया गया। विशेष समय–समय पर इन समितियों एवं आयोगों ने भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए सुझाव व सिफारिशें पेश की लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी।

इस प्रकार यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा ऐसे प्रभावपूर्ण तरीके अपनाए जाने चाहिए ताकि ऐसे विशेषाधिकार का अवैधानिक रूप से प्रयोग समाप्त किया जा सके। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस रोग के निवारण हेतु चारों ओर से आक्रमण होना चाहिए जैसा कि अन्ना हजारे के आंदोलन से स्पष्ट हो गया। क्योंकि किसी एक उपाय से इसकी विकलांगता में कमी ला पाना असंभव है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, खण्ड–2, पृ. 1023*
2. *इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, एडीशन, लन्दन, 1929, पृ. 472*
3. *राजस्थान पत्रिका (जोधपुर), 7 फरवरी 1991, पृ. 1*
4. *भारतीय शासन गृह मंत्रालय, भ्रष्टाचार निवारण समिति द्वारा सूचित, नई दिल्ली, 1964, पृ. 14*
5. *हलैया एम. इमरजेन्सी ऑफ करप्शन, नई दिल्ली, 1966, पृ. 201*
6. *दैनिक नई दुनिया, इन्दौर, 18 दिसम्बर, 1990 पृ. 4*
7. *रॉय, एम.पी. भारतीय शासन एवं राजनीति, नई दिल्ली प्रकाशन, 1988, पृ. 388*
8. *दैनिक भास्कर, भोपाल 18 दिसम्बर, 1988, पृ. 10*
9. *सिंघवी लक्ष्मीमल्ल, कानून और चुनाव, दिनमान 7 फरवरी 1971, पृ. 30*
10. *संवधिान सभा वाद–विवाद, खण्ड–8, पृ. 339*
11. *नईदुनिया, इन्दौर लेखक सुशील चन्द्र वर्मा, 6, 9, 8, पृ. 4*
12. *इंडिया टुडे, नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1988 पृ. 10*
13. *भू–भारती, द्वितीय, 15 अगस्त 1986*
14. *सन्तानम समिति रिपोर्ट*
15. *इतवारी पत्रिका, 4 अगस्त, 1985, पृ. 3*
16. *राजकिशोर (सम्पादक) आज के प्रश्न – भ्रष्टाचार की चुनौती, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 76*
17. *कृपलानी, जे.बी. इण्डियन एक्सप्रेस, बम्बई, 9 अक्टूबर 1964, पृ. 55*
18. *दैनिक भास्कर, भोपाल, 18 दिसम्बर 1983, पृ. 10*
19. *रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन प्रीवेनशन ऑफ करप्शन, 1962, न्यू दिल्ली, पृ. 5*
20. *रिपोर्ट ऑफ दि स्टडी टीम ऑन दि कन्ट्रोल ऑफ रेड सेसल, ऑफ सीटीजर्स ग्रीवेनसेस, 1966, न्यू दिल्ली, पृ. 1*
21. *दि फर्सट फाइव इयर प्लान, न्यू दिल्ली, प्लानिंग कमीशन 1952, पृ. 115*
22. *पत्रिका समाचार, 23 दिसम्बर, 2011*
23. *नईदुनिया, 18 दिसम्बर, 2013*
24. *http:/en.wikipedia,org/w/index/php/title-lokpalandprintable=yes*